



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2012/वैशाख 21, 1934

No. 209]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2012/VAISAKHA 21, 1934

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

सा.का.नि. 354(अ).—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1019(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2010, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 28 दिसंबर, 2010 को प्रकाशित किया गया था, के हिन्दी पाठ में,—

- (1) पृष्ठ 6 पर, स्तंभ (8) के अधीन,—
- (i) पंक्ति 1 में “(i) भौतिक, रसायन” के स्थान पर “(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से भौतिक, रसायन” पढ़ें ;
- (ii) पंक्ति 4 में “(ii) कम्प्यूटर उपयोजन” के स्थान पर “(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन” पढ़ें ;
- (2) पृष्ठ 6 पर, स्तंभ (8) के अधीन,—
- (i) पंक्ति 5 में “(iii) इलैक्ट्रॉनिकी और” के स्थान पर “(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इलैक्ट्रॉनिकी और” पढ़ें ;
- (ii) पंक्ति 7 में “(iv) इलैक्ट्रॉनिकी और” के स्थान पर “(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इलैक्ट्रॉनिकी और” पढ़ें ;

[फा. सं. I-12013/13/2009—संगठन (जिल्द-II)]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th May, 2012

G.S.R. 354(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, G.S.R. 1019(E), dated the 28th December, 2010, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 28th December, 2010,—

- (1) at page 19, under column (8),—
- (i) in line 5, for “Instrumentation” read “Instrumentation from a recognised University or Institution”;
- (ii) in line 5, for “Computer Application” read “Computer Application from a recognised University or Institution”;
- (2) at page 20, under column (8),—
- (i) in line 3, for “Information Technology” read “Information Technology from a recognised University or Institution”;
- (ii) in line 7, for “equivalent” read “equivalent from a recognised University or Institution”.

[F. No. I-12013/13/2009—Org. (Vol. II)]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.